



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112024-258427
CG-DL-E-04112024-258427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946

No. 624]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उड़ान और समुद्रीय संयोजकता नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उड़ान और समुद्रीय संयोजकता (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- उड़ान और समुद्रीय संयोजकता नियम, 2018, नियम-9 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय वायुक्षेत्र में न्यूनतम ऊँचाई के होते हुए भी, वायुयान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं तभी उपलब्ध कराई जाएंगी जब वायुयान में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।”

[सं. 20-504/2016-एएस-1 (पार्ट)]

सुनील कुमार सिंघल, उप महानिदेशक (लाइसेंसिंग पॉलिसी)

टिप्पण: उड़ान और समुद्रीय संयोजकता नियम, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. स. 1211(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि 154(अ) तारीख 23 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2024

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018, namely:-

- (1) These rules may be called the Flight and Maritime Connectivity (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018, in rule 9, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding the minimum height in Indian airspace referred to in sub-rule (1), internet services through Wi-Fi in aircraft shall be made available when electronic devices are permitted to be used in the aircraft.”

[No. 20-504/2016-AS-I (Pt)]

SUNIL KUMAR SINGHAL, Deputy Director General (Licensing Policy)

Note: The Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R 1211(E), dated the 14th December, 2018 and subsequently amended vide notification number G.S.R 154(E), dated the 23rd February, 2022.